:: बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

ग्राम सिरोंजा, पोस्ट – केन्ट सिविल लाईन

सागर (म.प्र.) – 470001 (म. प्र.)

सुरक्षा अमला/कर्मी ठेका ई–निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)

सुरक्षा सुपरवाईजर/सुरक्षा गार्ड/गनमैन प्रदाय हेतु)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.

ग्राम सिरोंजा, पोस्ट – केन्ट सिविल लाईन

सागर (म.प्र.)– 470001

कुल पृष्ठ संख्या. 36

:: तालिका ::

(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 36 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका	02
(3)	ई–निविदा आंमत्रण सूचना	03
(4)	निविदा प्रपत्र 1 – कार्य का विवरण, नियम व शर्ते	04 से 16
(5)	निविदा प्रपत्र 2 (अ) तकनीकी अर्हताये	17 से 20
(6)	निविदा प्रपत्र – 02 (ब) तकनीकी अर्हताये संबंधी नियम व शर्ते	21 से 24
(7)	निविदा प्रपत्र – 03 भावपत्र	25 से 26
(8)	निविदा प्रपत्र – 04 वर्तमान सुरक्षा कर्मियों की संख्या संबंधी सूची	27
(9)	निविदा प्रपत्र – 05 अनुबंध पत्र	28 से 36

:: बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

ग्राम सिरोंजा, पोस्ट – केन्ट सिविल लाईन

सागर (म.प्र.) – 470001 (म. प्र.)

सुरक्षा अमला/कर्मी ठेका ई–निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)

सुरक्षा सुपरवाईजर/सुरक्षा गार्ड/गनमैन प्रदाय हेतु)

ई–निविदा क्रमांक : 632/प्रशा./बुसदुसं./2023 सागर, दिनांक 14.09.2023

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र सिरोंजा में तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा अमला/कर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से **Two bid system ''दो बिड पद्धति''** (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई–निविदा (प्रथम) आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रू. 1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) वेबसाइड **http://www.mptenders.gov.in** के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 16/09/2023 दोपहर 01.00 बजे से दिनांक 05/10/2023 दोपहर 01.00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ई–निविदा की संपूर्ण कार्यवाही **www.mptenders.gov.in** पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट **www.sanchidairy.com** पर उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्राम सिरोंजा, पोस्ट केन्ट सिविल लाईन
सागर – 470001

मूल्य 1,000/–

कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर

प्रपत्र –01

1 – प्रस्तावना :–	
1.1	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्य डेयरी संयंत्र, एवं पशु आहार संयंत्र में तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा अमला/कर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से जिसे 03 वित्तीय वर्ष क्रमशः 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में सेडमैप/सहकारी संस्था/सरकारी/औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सुरक्षा अमला/कर्मी प्रदाय का कार्यानुभव अनिवार्य हो, से **Two bid system** ''दो बिड पद्धति'' (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई–निविदा (प्रथम), निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।
2 – अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :–	
2.1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्राम सिरोंजा, पोस्ट केन्ट सिविल लाईन , सागर – 470001 (म प्र.)
3 – निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी एवं ई–टेण्डरिंग हेतु वेबसाईट सम्बंधी विवरण:–	
3.1	प्रभारी/प्रबंधक (प्रशासन), बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्राम–सिरोंजा, पोस्ट–केन्ट सिविल लाईन, सागर–470001 म.प्र. E-Mail ID : **sanchibkdssagar@gmail.com** निविदा संबंधी नियम व शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट sanchidairy.com/sanchisagar.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र क्रय व ई–निविदा ऑनलाईन अपलोड वेबसाईट :– http:// www.mptenders.gov.in पर किया जाना है।
4 . ई–टेण्डर का संक्षिप्त विवरण :–	
4.1	निविदाकर्ता राशि रूपये 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) का ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं।

प्रपत्र –01

4.2	**निविदा आमंत्रण हेतु समय–सारणी :–**	
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	16.09.2023 दोपहर 01:00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	05.10.2023 दोपहर 01:00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	05.10.2023 दोपहर 3:00 बजे तक
4	ऑफलाईन बंद लिफाफा कार्यालय में जमा करने की तिथि एवं समय	06.10.2023 दोपहर 12:00 बजे तक
5	तकनीकी निविदा ऑनलाइन खोलने की तिथि एवं समय	10.10.2023 दोपहर 3:00 बजे
6	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाइन जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रू. 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्राम –सिरोंजा, जिला–सागर (म.प्र.)
8	निविदा वैधता अवधि	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 06 माह तक

5 – कार्य का विवरण :–	
5.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र, सिरोंजा हेतु प्रतिदिन लगभग 20–25 सुरक्षा अमला/कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित् करनी होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमला/कर्मी की संख्या समय–समय–पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सफल निविदाकार द्वारा सुरक्षा सुपरवाईजर/सुरक्षा गार्ड/गनमैन शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों व सुरक्षा अमला/कर्मी एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाना होगा। सुरक्षा अमला/कर्मी को सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार द्वारा जो भी कार्य आवंटित किया जाता है, यदि उनके द्वारा कर्तव्य के दौरान क्षति या हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार/निविदाकार से की जावेगी।
5.2	सफल निविदाकार द्वारा प्रबंधन की आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमला/कर्मी उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त सुरक्षा अमला/कर्मी की आवश्यकता होगी तो सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षा अमला/कर्मी की पूर्ति सुनिश्चित् करेगा ताकि सुरक्षा कार्य प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर सुरक्षा अमला/कर्मी के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित् करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमला/कर्मी की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार हेतु मान्य व बंधनकारी होगा।

5.3	सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित सुरक्षा अमला/कर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले सुरक्षा अमला/कर्मी की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षाकर्मी को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
6 – धरोहर राशि (ई.एम.डी.) :–	
6.1	निविदाकार को ई–निविदा पोर्टल के माध्यम से धरोहर राशि (Earnest Money) रूपये 50,000/- (रू. पचास लाख) Online जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा अमान्य होगी। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त राशि सुरक्षा निधि में समायोजित हो जावेगी।
6.2	मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में धरोहर राशि के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा।
6.3	धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
7 – सुरक्षा निधि :–	
7.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस की समयसीमा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रूपये 03.00 लाख (रु तीन लाख मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर..जी.एस. अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की गारंटी के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जमा सुरक्षा निधि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
7.2	उक्त सुरक्षा निधि ((Security Deposit)) ठेका समाप्त होने के पश्चात् सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार द्वारा संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत् रहे समस्त सुरक्षा अमला/कर्मियों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान के नियमानुसार व जी.एस.टी राशि शासन नियमानुसार अन्य देय राशि पूर्णतः जमा होने एवं अवधि पूर्ण होने पर संघ द्वारा केम्प लगाया जावेगा, जिसमें विवादित प्रकरणो का पूर्ण निराकरण होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी। (जमा सुरक्षा निधि ((Security Deposit)) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा)।
8– निविदा प्रपत्र भरने हेतु अनिवार्य तकनीकी अर्हताएँ :–	
8.1	प्रपत्र क्रं. 02 (अ) में अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं में आवश्यक व अनिवार्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर पृथक से जमा करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रपत्र क्रं. 02 (ब) में विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तो का अवलोकन करें। निविदा में प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) अनुसार अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेज ही मान्य होगे। साथ ही ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि तक बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
8.2	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु म. प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध/जीवित अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी सेडमैप/सहकारी संस्था/सरकारी/औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य

	प्रसंस्करण इकाइयों में विगत 03 वित्तीय वर्ष क्रमशः 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 में सुरक्षा कर्मी प्रदाय का अनुभव अनिवार्यतः हो तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी सेडमैप/सहकारी संस्था/सरकारी/औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कम– से–कम 20 से 25 सुरक्षाकर्मी प्रतिदिन एक ही संस्था में प्रदाय किये गये हों या किये जा रहे हों, का अनुभव होना चाहिए। नियोक्ता का आदेश एवं कार्य सफलतापूर्वक का प्रमाण–पत्र एवं प्रदाय सुरक्षा कर्मी के नाम, पिता का नाम, पता सहित प्रत्येक वर्षवार सूची देना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
8.3	यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश् अथवा झूठी जानकारी दी जाती है अथवा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेंगी और अर्नेस्ट मनी (EMD) जप्त कर ली जायेगी।
9 – निविदा की सामान्य नियम व शर्तें :–	
9.1	ई–निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के पास सुरक्षित रहेगा।
9.2	यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। जिसमें निविदाकर्ता (फर्म के मालिक/पार्टनर) स्वयं उपस्थित हो, यदि निविदाकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है तो प्रतिनिधि निविदाकर्ता द्वारा अधिकृत होना चाहिये, (निविदाकर्ता के हस्ताक्षर से जारी अधिकृत पत्र)। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9.3	सुरक्षा ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों /उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी, एवं निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।
9.4	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत् श्रमिक ठेकेदार, दुग्ध संघों/एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों /उनके परिजनों एवं एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
9.5	**दुग्ध संघ स्तर पर निविदा हेतु गठित समिति द्वारा देय सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर न्यूनतम 3.50 प्रतिशत होना निर्धारित की गई है। अतः निविदाकार द्वारा भरे जाने वाले सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर 3.50 प्रतिशत से कम होने पर निविदाकार को श्रमिक ठेका हेतु प्रथामिकता नही दी जावेगी। एमपीसीडीएफ के पत्र कमांक 3578/कय/एमपीसीडीएफ/ दिनांक 21–10–2020 द्वारा जारी एमपीसीडीएफ/दुग्ध संघों हेतु संशोधित भण्डार कय/विकय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 निविदाकार द्वारा सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर यदि दशमलव में अंकित की जाती है तो ऐसी स्थिति में सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज दशमलव के बाद एक अंक तक ही मान्य होगा।**
9.6	यदि ठेकेदार का मुख्यालय सागर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे ठेका आवंटन के पश्चात् सागर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
9.7	प्रत्येक पाली में उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित सुरक्षा पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। पालीवार पर्यवेक्षक का नाम देना होगा।
9.8	सुरक्षा ठेकेदार को मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र, सिरोंजा सागर पर

	कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षाकर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। समस्त रजिस्टर संघ में उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक शास्ती अधिरोपित की जावेगी। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
9.9	श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर द्वारा समय–समय–पर निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि तथा एमपीसीडीएफ/बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समय–समय सुरक्षाकर्मियों की दरें बढ़ाई जाने पर बढ़ी हुई दर से सुरक्षा अमले को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान बैक के माध्यम से करना होगा।
9.10	निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले (अपलोड) दस्तावेज की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर के हस्ताक्षर सत्यापन होना आवश्यक है।
9.11	निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत न करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जायेगा। ऐसी निविदाकार जो निर्धारित निविदा के नियम व शर्तो को पूर्ण नहीं करेंगे वे भी निरस्ती योग्य होंगे।
9.12	अप्रत्याशित कारणों से निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा इस हेतु कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेंगा।
9.13	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में 03 माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
9.14	निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ/सहकारी संस्था/सेडमैप से काली सूची में नामांकित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि एवं अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
9.15	सुरक्षा ठेकेदार/एजेंसी एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर **''आरबीट्रेशन एक्ट 1996''** के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
9.16	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकार पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
9.17	सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी कोड नं. की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
9.18	सफल निविदाकार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिस हेतु रूपये 100/– का अंश खरीदना होगा परन्तु उसे वोट इत्यादि देने की पात्रता नहीं होगी।
9.19	निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्थिति में, निर्धारित समयसीमा में कार्य प्रारंभ न करने/सुरक्षा निधि जमा न करने/अनुबंध न करने की स्थिति में धरोहर राशि जप्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को नियमानुसार प्रथम न्यूनतम निविदाकार की दर पर सुरक्षा ठेका दिया जा सकेगा।
9.20	निविदा प्रपत्र के नियम व शर्तो तथा विवरणो में वर्णित अर्थात् लगाये गये सुरक्षा अमले का आशय सुरक्षाकर्मी माना जावे।

9.21	ई–निविदा की संपूर्ण कार्यवाही (www.mptenders.gov.in) पर अपलोड/संपादित की जावे। निविदा संबंधी शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जावे।
9.22	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा **वित्तीय वर्ष 2019–20 (कर निर्धारण वर्ष 2020–21), वित्तीय वर्ष 2020–21 (कर निर्धारण वर्ष 2021–22), एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 (कर निर्धारण वर्ष 2022–23) हेतु जमा किये गये आयकर के रिटर्न की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।**
9.23	**निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ/सहकारी संस्था में पूर्व में वैधानिक दायित्वों जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं जी.एस.टी. इत्यादि जमा नहीं किया गया है या समय पर जमा नहीं किया गया है अथवा निर्धारित समयावधि पश्चात् जमा किया गया है, तो ऐसे निविदाकार, इस निविदा हेतु अपात्र होंगे।**
10 – मूल्यांकन की प्रक्रिया :–	
10.1	(एमपीसीडीएफ के पत्र क्रमांक 3578/क्रय/एमपीसीडीएफ/दिनांक 21–10–2020 द्वारा जारी एमपीसीडी एफ/दुग्ध संघों हेतु संशोधित भण्डार क्रय/विक्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 के अनुसार निविदा प्रक्रिया संपादित की जावेगी। निविदा खोलने की तिथि पर कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं, इसकी जानकारी उपस्थित निविदाकारों को दी जायेगी।
10.2	निर्धारित अर्नेस्ट मनी (EMD) प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम तकनीकी बिड निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी तत्समय निविदाकारों अथवा उनके लेटर हेड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें।
10.3	जो निविदाकार तकनीकी बिड की शर्तो को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बिड को खोला जावेगा। वित्तीय बिड में निविदाकारों द्वारा दी गई दर को उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों को बताया जायेगा। निविदा समिति तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी को अपना प्रतिवेदन देगी।
10.4	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता सफल निविदाकार का नाम घोषित किया जायेगा, जिसे ऑनलाईन भी देखा जा सकता है।
10.5	निविदाएं खोलने के पश्चात् यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत होती है और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
10.6	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। जिसमें निविदाकर्ता (फर्म के मालिक/पार्टनर) स्वयं उपस्थित हो, यदि निविदाकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है तो प्रतिनिधि निविदाकर्ता द्वारा अधिकृत होना चाहिये, (निविदाकर्ता के हस्ताक्षर से जारी अधिकृत पत्र)।
11 – अनुबंध की अवधि/निरस्तीकरण :–	
11.1	सुरक्षा ठेका अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्षो के लिए होगा तथा सुरक्षा ठेका अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त एक–एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी। सुरक्षा ठेका डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्रों/पशु आहार संयंत्र/अन्य स्थल, जहॉं पर सुरक्षाकर्मी पदस्थ किये गये हैं, की सुरक्षा व्यवस्था का ठेका 24 घण्टे का रहेगा। निविदाकार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी।

11.2	निष्पादित अनुबंध को सुरक्षा ठेकेदार अथवा बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही सुरक्षा ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि जप्त की जाकर सुरक्षा ठेकेदार को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
11.3	निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी होने की स्थिति में 15 दिवस में निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से अनुबंध हेतु रूपये 1,000/- (रू एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबंध का निष्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता है तो कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11.4	अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी वाद–विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लियें क्षेत्राधिकार सागर (म.प्र.) स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
12 – सुरक्षा ठेके पर सुरक्षाकर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात सुरक्षा ठेकेदार के लिए नियम व शर्ते :–	
12.1	प्रत्येक माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा सत्यापित की जाकर सुरक्षा ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
12.2	प्रदाय किये गये सुरक्षा अमला ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।
12.3	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निविदा में स्वीकृत अनुसार ही रहेगी।
12.4	निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्यस्थल का भ्रमण कर सकता है।
12.5	सुरक्षा ठेकेदार को आवंटित कार्य बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ की सहमति के बिना किसी अन्य फर्म/एजेंसी आदि को हस्तांतरित नही किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा निरस्ती योग्य होगी, एवं सुरक्षा निधि जप्त कर कालीसूची में दर्ज किया जावेगा।
12.6	सुरक्षा ठेकेदार को यह सुनिश्चित् करना होगा कि उसके द्वारा प्रदत्त सुरक्षाकर्मी द्वारा बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ की कोई भी गोपनीय जानकारी किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।
12.7	सफल निविदाकार अर्थात् सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित् करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सुरक्षा ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली सुरक्षा ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली सुरक्षा ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।
12.8	निविदाकार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा। सफल निविदाकर को अनुबंध पत्र के साथ 01 ब्लेंक चैक (मूलप्रतियां) एवं शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि श्रमिक ठेकेदार से यदि कोई लेन–देन शेष हो तो उस राशि की प्रतिपूर्ति दिये गये चैक से की जावेगी।

13 – सुरक्षाकर्मी प्रदाय के लिए नियम एवं सेवा शर्तें :–	
13.1	प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा, एवं गणवेश में ही रहना होगा।
13.2	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा लगाये गये सुरक्षाकर्मी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करते हुयें कार्य करना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई सुरक्षाकर्मी कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये सुरक्षाकर्मी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति सुरक्षाकर्मी रूपये 1,000/– के मान से कटौत्रा किया जावेगा जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जावेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित सुरक्षाकर्मी को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को कालीसूची (ब्लेक लिस्टेड) कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि आदि राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
13.3	संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। सुरक्षाकर्मी द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रू. 100/– प्रति सुरक्षाकर्मी के मान से वसूली अधिरोपित की जावेगी। सुरक्षाकर्मी द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
13.4	सुरक्षाकर्मी द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर सुरक्षा ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।
14 – सुरक्षाकर्मियों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान संबंधी शर्तें :–	
14.1	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र, सिरोंजा प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी/वेतन भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से सुरक्षाकर्मी को माह की सात (07) तारीख तक करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के नाम से ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आईसी. के खाता खोलकर ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आईसी. अंशदान राशि के चालान तथा जी.एस.टी. राशि के चालान तैयार/जनरेट कर निर्धारित समय अवधि में संघ कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रा का ब्यौरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेखित करना होगा सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि ''इस चालान द्वारा माह ....में बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र को प्रदाय किये गये कुल .... (संख्या) सुरक्षा कर्मियों का ई.पी.एफ/ई.एस.आई अंशदान (....... प्रतिशत) राशि रु. .... जमा कराया जाना है तथा किसी भी सुरक्षा कर्मी का नाम छोड़ा नहीं गया है'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के साथ देना अनिवार्य होगा। इस हेतु सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा कर्मियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा।
14.2	सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा

	करने की संपूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। नियमानुसार कटौत्रे निर्धारित समय पर जमा करने की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। विलंब से जमा किये जाने पर प्रतिमाह रू. 10,000 की वसूली अधिरोपित की जावेगी।
14.3	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं सुरक्षाकर्मियों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरूद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 10,000/- प्रतिमाह की वसूली अधिरोपित किया जायेगा। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। **सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।**
14.4	श्रम नियमानुसार सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम का सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। जिसका देयक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ को प्रस्तुत करने पर देयक का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार को किया जायेगा।
14.5	सुरक्षाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि सुरक्षा ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य अन्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भू–राजस्व की बकाया राशि की भॉति वसूल की जावेगी तथा सुरक्षा ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14.6	यदि किसी माह में सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो सुरक्षा ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू. 10,000/- की वसूली अधिरोपित की जावेगी।
14.7	सुरक्षा ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में सुरक्षा ठेकेदार को सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा सुरक्षाकर्मियों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा, चेक से नही। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सभी सुरक्षाकर्मियों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।
14.8	सुरक्षाकर्मी को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित् करने के उद्देश्य से सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त सुरक्षाकमियों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है, अन्यथा रू. 1,000/- प्रतिमाह की वसूली अधिरोपित की जावेगी।
14.9	सुरक्षा ठेकेदार के देयकों से नियमानुसार आयकर का कटौत्रा कर दुग्ध संघ द्वारा आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत संघ द्वारा किये गये आयकर कटौत्रा का विवरण/प्रमाण–पत्र प्रदाय किया जायेगा।
14.10	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक गत् माह में किये गये कार्यों/लगाये गये सुरक्षा अमले का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रुप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र का

	नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में सुरक्षा ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित सुरक्षाकर्मियों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक सुरक्षाकर्मी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत्रे एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत्रे दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। गलत देयकएवं अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे सुरक्षाकर्मियों की संख्या मय् नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी.एफ न., यू.ए.एन नं, ई.एस.आई नं. एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा वसूली अधोरोपित की जावेगी। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा सुरक्षा ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का सुरक्षाकर्मियों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबावदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा। ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
15 – कार्य हेतु नियोजित सुरक्षाकर्मियों के संबंध में सुरक्षा ठेकेदार के दायित्व :–	
15.1	सुरक्षा ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मियों को कार्य प्रारंभ करने के 10 दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
15.2	सुरक्षा ठेकेदार को रखे गये समस्त सुरक्षाकर्मी का हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित् रिकार्ड रखना होगा एवं समय–समय–पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। समस्त रिकॉर्ड संघ में उपलब्ध होना चाहिए अन्यथा विवेकानुसार वसूली अधिरोपित की जावेगी।
15.3	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार को प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का ई.एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षा कर्मीवार प्रतिमाह राशि रू. 1,000/- तक की वसूली ठेकेदार पर लगाई जावेगी। सुरक्षा ठेकेदार यदि सागर शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, सागर कार्यालय का सब कोड़ (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि सुरक्षाकर्मी का दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभाग से कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।
15.4	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित् किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार एवं कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरंतर सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नहीं रखेगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित् किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने सुरक्षाकर्मियों से प्रतिमाह कार्य कराये, इस हेतु रिलीवर की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसा नहीं पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। रिलीविंग चार्जेस की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
15.5	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
15.6	सुरक्षाकर्मियों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

15.7	निविदाकार को अनुबंध निष्पादन की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में समस्त सुरक्षा अमले की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति सुरक्षाकर्मी रू. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। यदि ड्यूटी करते समय किसी सुरक्षाकर्मी का एक्सीडेंट हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15.8	सुरक्षा ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के सुरक्षाकर्मी देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षा गार्ड डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/पशु आहार संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे सुरक्षाकर्मी तत्काल हटाना होंगें। सुरक्षाकर्मी संघ परिसर में किसी से भी उधार/घूस/चाय नास्ता के पैसे नही मांगेगें, अन्यथा रू. 1,000/- की वसूली अधिरोपित किया जायेगा। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित् करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सज़ायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी सुरक्षाकर्मी द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर रूपये 1,000/- तक की वसूली ठेकेदार पर अधिरोपित की जा सकेगी।
15.9	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास सुरक्षाकर्मी प्रदाय हेतु वैध जीवित लायसेंस होना आवश्यक तथा उक्त लायसेंस का समय—समय—पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
15.10	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, पेंट, शर्ट, टोपी, बेल्ट, जूते मोजे, बैज, लाठी, सीटी, टॉर्च, प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र आदि उपलब्ध करायेगी, (सुरक्षा कर्मियों से वसूल नहीं की जावेगी।) ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित् हों। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उक्त अनुसार गणवेश प्रदाय नहीं करने या **सुरक्षाकर्मी बिना गणवेश के पाये जाने पर प्रबंध द्वारा सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध रू. 100/. प्रतिदिन प्रति गार्ड के हिसाब से वसूली की जा सकेगी।** (साथ ही दुग्ध संघ द्वारा उपरोक्त वस्तुऍ क्रय कर सुरक्षाकर्मी को प्रदाय की जा सकती है तथा इस हेतु आया हुआ व्यय सुरक्षा ठेकेदार के बिल से प्रबंध द्वारा काट लिया जावेगा)। उक्त वर्दी एवं अन्य देय समान की राशि सुरक्षा कर्मियों से ली जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उक्त पर व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के देयक से कर लिया जावेगा।
15.11	यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा। किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।

16 — वसूली/कटौत्रा :—	
16.1	ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) जप्त कर काली सूची में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तो का समय—समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व काली सूची में डाला जाकर दुग्ध संघ अपने स्त्रोत से अन्य ठेकेदार को कार्य आवंटित कर उसे जो मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात् कार्य पर जो भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति देय होगी।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रू
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

16.2 दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसियों से पृथक–पृथक स्थितिवार की जावेगी :–

16.2 (i) – वाहन में परिवहन के लिये डेयरी डाक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में ''दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों (पक्षों) पर पृथक–पृथक लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत् पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

16.2 (ii) :– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात् डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी/संघ द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शाई गई मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसिज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डाक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 02 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डाक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा।

16.2 (iii) :– पशु आहार/मिनरल मिक्चर एवं अन्य कच्चे माल की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनों पार्टी (पक्षों) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एंजेसी से बराबर–बराबर राशि वसूल की जायेगी। साथ ही पशु आहार वाहन में चढाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। अधिक पाये गये पशु आहार/मिनरल मिक्चर/कच्चे माल का 20 गुना राशि का कटौत्रा की वसूली तीनों पार्टी (पक्षों) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एंजेसी से बराबर–बराबर राशि वसूल की जायेगी। इस संबंध में पंचनामे में संयंत्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर आवश्यक है।

17– सुरक्षाकर्मियों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :–

सुरक्षा ठेकेदार को किसी भी सुरक्षाकर्मी को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने की दशा में श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए देय मुआवजा एवं अन्य

	स्वत्वों का भुगतान संबंधित विभाग से कराने की सम्पूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। उपरोक्त के संबंध में प्रबंधन की किसी भी प्रकार की कोई जबाबदारी नही होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्राम – सिरोंजा, पोस्ट केन्ट सिविल सागर–470001

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :– नाम :–

दिनांक :– पत्राचार हेतु पता :– ....

....

दूरभाष/मो.नं. :– ....

कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

प्रपत्र –02 (अ)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्राम–सिरोंजा, पोस्ट–केन्ट सिविल लाईन,
सागर।

महोदय,

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, पशु आहार संयंत्र एवं दुग्ध शीत केन्द्रों में आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमला/सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु दिनांक .... को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सुरक्षा अमला/सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रूपये **50,000/-** (रू. पचास हजार मात्र) को Online जमा कर पावती निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण–पत्र के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

:: **तकनीकी अर्हताऐं** ::

केवल चाहे गये दस्तावेज ही विवरण में प्रतिपूर्ति कर संलग्न करना है, इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं करें।

क्रं.	आवश्यक अर्हताऐं	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
1	सुरक्षा एजेसी/ठेकेदार का नाम व पता	———————————— ————————————
2	संस्था/फर्म होने की दशा में पंजीयन का प्रमाण–पत्र पेज नं. ——— से ——— तक	प्रमाण का विवरण —————————— ———————————— नम्बर/तिथि ————————————
3	यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम व पता एवं पार्टनरशीप–डीड पेज नं. ——— से ——— तक	———————————— ———————————— ————————————
4	कॉन्टेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड एबोलेशन) एम.पी. रूल्स 1973 के तहत् फार्म–VI में श्रम विभाग का जीवित लाईसेंस नंबर की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	———————————— ———————————— ———————————— ————————————
5	ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन कोड़ नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	———————————— ———————————— ————————————
6	ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	———————————— ———————————— ————————————
7	GST कोड़ नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. ——— से ——— तक	———————————— ———————————— ————————————
8	वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–2022 का आयकर का रिर्टन जमा करने का प्रमाण एवं पावती।	———————————— ———————————— ————————————

	पेज नं. ——— से ——— तक	

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
9	PAN नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति। पेज नं. ——— से ——— तक	—————————————————————— —————————————————————— ——————————————————————
10	निविदाकार के पास प्रायवेट सुरक्षा अधिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा–7 एवं म.प्र. निजी सुरक्षा अधिकरण (विनियमन) अधिनियम–2012 की धारा–8 के तहत् पुलिस विभाग, भोपाल की अनुज्ञप्ति प्रमाण जीवित होना चाहिए।	प्रमाण–पत्र क्रं. —————————————— दिनांक : ———————— अवधि ——————— से ——————— तक
11	एजेंसी के पास सुरक्षा कर्मियों की ट्रेनिंग हेतु '' निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005'' के तहत मध्यप्रदे ा भाासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी '' ***ट्रेनिंग सेन्टर'' का लाइसेंस/पंजीकरण*** होना आव यक हैं।	लाईसेंस नं. : ——————————————— दिनांक : —————————————————
12	प्रतिष्ठित शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी. एफ/दुग्ध संघों/सेडमैप/सहकारी संस्था /औद्योगिक संस्थानों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए, सुरक्षा कर्मी का नाम एवं पता, जिसमें विगत् तीन वर्षों 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में ठेके पर कम–से–कम 20 सुरक्षा अमला/कर्मी एक ही संस्था में प्रदाय किये गये हों या किये जा रहे हों, का अनुभव होना चाहिए। नियोक्ता का आदेश एवं कार्य सफलतापूर्वक का प्रमाण–पत्र देना आवश्यक है। पेज नं. ——— से ——— तक	संस्था का नाम —————————————— —————————————————————— वर्ष 2020-21 में सुरक्षा कर्मियों की संख्या ...... वर्ष 2021-22 में सुरक्षा कर्मियों की संख्या ...... वर्ष 2022-23 में सुरक्षा कर्मियों की संख्या ...... प्रमाण–पत्र का विवरण : ————————— ————————————————————— —————————————————————
13	सुरक्षा अमला /कर्मी का भविष्य निधि अंशदान शत्– प्रतिशत् वर्षवार जमा होने का प्रमाण, EPF के चालानों की छाया प्रति एवं राशि जमा होने का कंफर्मेशन रिपोर्ट प्रत्येक चालान के साथ होना अनिवार्य है। पेज नं. ——— से ——— तक	वर्ष 2020-21 के चालान पेज ..... से ..... तक वर्ष 2021-22 के चालान पेज ..... से ..... तक वर्ष 2022-23 के चालान पेज ..... से ..... तक
14	सुरक्षा अमला/कर्मी का कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत्–प्रतिशत् वर्षवार जमा होने का प्रमाण, ESIC की राशि के चालानों की छाया प्रति। पेज नं. ——— से ——— तक	वर्ष 2020-21 के चालान पेज ..... से ..... तक वर्ष 2021-22 के चालान पेज ..... से ..... तक वर्ष 2022-23 के चालान पेज ..... से ..... तक
15	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22, का टर्न ओव्हर प्रतिवर्ष कम–से–कम रू. 25 लाख तथा उससे अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए। पेज नं. ——— से ——— तक	वर्ष 2019-20 में रू. ———————— वर्ष 2020-21 में रू. ———————— वर्ष 2021-22 में रू. ————————

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
16	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लम्बित न होने का शपथ –पत्र दिनांक ——————— **शपथ–पत्र।** पेज नं. —— से ——— तक	**नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया** **शपथ–पत्र दिनांक** ——————— रू. 100/- के (गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)
17	क्या निविदाकर्ता का सागर शहर में कार्यालय है। यदि हॉ तो पूर्ण पते का उल्लेख करें। पेज नं. —— से ——— तक	पता – —————————————————— —————————————————— ——————————————————
18	क्या आपकी संस्था इन्दौर/भोपाल/उज्जैन /एम.पी.सी.डी.एफ./जबलपुर/ग्वालियर/ बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है। यदि हॉ तो पूर्ण विवरण का उल्लेख करें। कब से कब तक कार्य आदेश संलग्न करें। पेज नं. —— से ——— तक	दिनांक ——————— दिनांक —————— तक स्थान —————————————————— —————————————————— दिनांक ——————— दिनांक —————— तक स्थान —————————————————— ——————————————————
19	क्या शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी. एफ/दुग्ध संघों/सेडमैप/सहकारी संस्था /औद्योगिक संस्थानों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी. एस.टी. इत्यादि का कोई विवाद जो पंजीकृ त/विचाराधीन है। यदि विवाद नहीं है तो नोटरी का शपथ–पत्र 100/- रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करें। पेज नं. ——— से ——— तक	**नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया** **शपथ–पत्र दिनांक** ——————— रू. 100/- के (गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)
20	अर्नेस्ट मनी (EMD) निर्धारित अनुसार राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) ऑनलाईन जमा कराई जाकर सील हस्ताक्षरायुक्त पावती सहित विवरण संलग्न करें। निविदा के साथ जमा धरोहर राशि (EMD) का विवरण 45 दिन की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। केवल म.प्र. राज्य E.M.D. जमा की या छूट हेतु एम.एस.एम.ई. प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। अन्य राज्यो के एम.एस. एम.ई. प्रमाण–पत्र को छूट नही दी जावेगी। पेज नं. —— से ——— तक।	विवरण ———————————————— —————————————————— —————————————————— **प्रमाण का विवरण** राज्य ————————————————

21	यदि आपकी एजेंसी को किसी संस्था के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी जानकारी हॉ/या नहीं। शपथ–पत्र दें। पेज नं. –– से ––– तक।	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया शपथ–पत्र दिनांक –––––––––– रू. 100/. के (गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)

नोट :–

1) किसी भी संस्था एवं दुग्ध संघ द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी निविदा मान्य नहीं की जावेगी।

2) ऑन–लाइन निविदा पर ही विचार किया जावेगा तथा चाहे गये दस्तावेज ही संलग्न करें, अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं करें। ऑन–लाईन प्राप्त ही दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा।

3) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर कभी–भी ठेका निरस्त कर सुरक्षा निधि जप्त की जा सकेगी, एवं कालीसूची में दर्ज किया जा सकेगा।

4) एम.एस.एम.ई. (म. प्र. राज्य में स्थापित संस्था) का प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने पर धरोहर राशि (EMD) में छूट रहेगी, लेकिन सुरक्षा निधि में कोई छूट नहीं रहेगी। म.प्र. राज्य को छोडकर अन्य राज्यो को छूट नही होगी।

5) प्राप्त निविदाओं की सर्वप्रथम तकनीकी अर्हताएं (बिड़) खोली जावेगी, तकनीकी अर्हता जो पूर्ण करते हैं, उनकी ऑन–लाइन दरें खोली जाकर मान्य की जावेगी।

6) कोई भी तकनीकी अर्हताऍ (बिड़) को स्वीकार करना या सभी को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित है।

7) सुरक्षा ठेका मुख्य डेयरी संयंत्र, सागर एवं पशु आहार संयंत्र तथा शीत केन्द्रों पर सुरक्षा अमला/कर्मी प्रदाय करना है।

निविदाकार का नाम : ––––––––––––––––––––––––
पूर्ण पता : ––––––––––––––––––––––––––––––
मोबाईल नम्बर : ––––––––––––––––––––––––––––
दूरभाष नम्बर : –––––––––––––––––––––––––––––

प्रपत्र –02 (ब)

❖ **तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश व शर्तें**

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) (तकनीकी अर्हताएँ) में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन–किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता में उल्लेखित समस्त वांछित शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
3. **प्रपत्र क0 02 (अ) में अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं में आवश्यक व अनिवार्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर पृथक से जमा करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रपत्र क0 02 (ब) में विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तो का अवलोकन करे। निविदा में प्रपत्र कमांक 02 (अ) अनुसार अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है साथ ही ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि तक बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।**
4. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें। सशर्त निविदा अमान्य की जावेगी।
5. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।
6. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ–साथ प्रत्येक वर्ष ई.पी.एफ चालानों पर अंकित सुरक्षाकर्मियों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।
7. **निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु निर्धारित अर्हताओं के संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रपत्र 02 (अ) के अनुसार दर्शाया जाना अनिवार्य है। इन दस्तावेजो की इंडेक्स सूची निविदा का प्रथम पृष्ठ होना चाहिए।**
8. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (**Earnest Money**) एवं सुरक्षा निधि जप्त की जावेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने पर EMD राशि सुरक्षा निधि में समायोजित की जावेगी।
10. निविदा की सभी शर्ते अनुबंध में बंधनकारी होगी।
11. निविदाकार द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेज ही मान्य होंगे, जिनका बाद में हार्ड कॉपी से सत्यापन कराया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्राम – सिरोंजा, पोस्ट केन्ट सिविल सागर–470001

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान
दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील
नाम : ....
पत्राचार हेतु पता :...
दूरभाष / मो.नं. ....

(प्रपत्र क्रमांक 02–(अ) – तकनीकी अर्हता क्रमांक 16 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम)............................(पता)......................(पंजीयन क्रमांक)... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरूद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मैं (नाम) .... (आयु)................ (पता) .... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02–(अ) – तकनीकी अर्हता क्रमांक 19 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

<u>शपथ पत्र</u>

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) .... (पता) .... (पंजीयन क्रमांक) .... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... के विरूद्ध शासकीय संस्था/एम.पी. सी.डी.एफ/दुग्ध संघों/सेडमैप/सहकारी संस्था/औद्योगिक संस्थानों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में ई. पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

<u>सत्यापन</u>

मैं (नाम) .... (आयु) .... (पता) .... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02–(अ) – तकनीकी अर्हता क्रमांक 21 के संबंध में राशि रू 100/– के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) .... (पता) .... (पंजीयन क्रमांक) .... शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :–

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .... को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघों/सेडमैप/सहकारी संस्था/औद्योगिक संस्थानों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ–पत्र प्रस्तुत है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) .... (आयु) .... (पता) .... शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया हैं और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थानः ....
दिनांकः ....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय : बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

''भाव पत्र/दर''

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :–

<table>
<tr><th>क्र</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मजदूरी (न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
<table>
<tr><th>क्र</th><th>सुरक्षाकर्मी का विवरण</th><th>दर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सुरक्षा अधिकारी</td><td>उच्च कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सहायक सुरक्षा अधिकारी</td><td>कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>गनमैन</td><td>कुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>सुरक्षा पर्यवेक्षक</td><td>अर्धकुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>सहायक सुरक्षा पर्यवेक्षक</td><td>अर्धकुशल श्रेणी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सुरक्षा गार्ड</td><td>अकुशल श्रेणी</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस</td></tr>
<tr><td>3</td><td>टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान</td></tr>
<tr><td>5</td><td>वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (बीमा राशि रू. 1,00,000/– प्रति सुरक्षाकर्मी)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान</td></tr>
<tr><td>7</td><td>जी.एस.टी – सुरक्षा ठेकेदार द्वारा चालान जमा कर प्रस्तुत करने पर।</td></tr>
</table>

नोटः–

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Manday) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	'अ'' मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति सुरक्षाकर्मियों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :–

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान–सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान–सुरक्षा ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

निरंतर

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :– (केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र	**विवरण**	**मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत**
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

नोट :– निविदाकार द्वारा सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर यदि दशमलव में अंकित की जाती है तो ऐसी स्थिति में सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज दशमलव के बाद एक अंक तक ही मान्य होगा।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :– नाम :–

दिनांक :– पत्राचार हेतु पता :– ....

....

दूरभाष/मो.नं. :– ....

....

प्रपत्र–04

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

वर्तमान में लगभग निम्नांकित सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता है :–

क्र	पद	सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता		
		मुख्य डेयरी संयंत्र, सिरोंजा, सागर	पशु आहार संयंत्र, सिरोंजा सागर	कुल योग
1	सुरक्षा सुपरवाईजर	1	1	2
2	गनमैन	1	1	2
3	सुरक्षा गार्ड	10	7	17
	कुल योग	**12**	**9**	**21**

नोट :– उपरोक्त सुरक्षाकर्मियों की संख्या को आवश्यकतानुसार कम अथवा बढाया भी जा सकता है:–

प्रपत्र – 05

:: अनुबंध पत्र ::

आज दिनांक ———————— को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेगें तथा मेसर्स ....जिला ...., जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेगें, के मध्य बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर, मुख्य डेयरी संयंत्र सिरोंजा, सागर, कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में संयंत्र एवं अन्य कार्यो हेतु दुग्ध संघ की मांग अनुसार मानव दिवस (मेनडेज) के आधार पर सुरक्षा कर्मी प्रदाय करने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा सुरक्षा ठेकेदार के रुप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :—

1	सुरक्षा ठेका अवधि दिनांक .... से .... तक तीन वर्षो के लिए प्रभावशील रहेगा, तथा सुरक्षा ठेका अवधि पूर्ण होने पर व सुरक्षा ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने पर प्रबंध पक्ष द्वारा आपसी सहमति से अनुबंध अवधि में आवश्यकतानुसार एक—एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी ।
2	सुरक्षा ठेकेदार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के प्रबंधन की मांग अनुसार मुख्य डेयरी संयंत्र सागर, पशु आहार संयंत्र सिरोंजा एवं शीतकेन्द्रों हेतु लगभग 21 सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या समय—समय पर बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
3	सुरक्षा ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने अर्नेस्ट मनी (EMD) जप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
4	कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एवं ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के पास सुरक्षा कर्मी प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे समस्त श्रम अधिनियमों व प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
5	सुरक्षा ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत करनी होगी एवं मूलप्रति से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा है तथा सुरक्षा ठेकेदार पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
6	सुरक्षा ठेकेदार को अनुबंध निष्पादन की दिनांक से 10 दिवस की अवधि में समस्त सुरक्षा कर्मियों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये **वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक रू. 1,00,000/— की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी** तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। बीमा कंपनी द्वारा भुगतान कम करने/न करने या ठेकेदार/बीमा कंपनी द्वारा विलंब से भुगतान करने की स्थिति में यदि मुआवजे, पेनाल्टी/ब्याज की देयता आती है तो वह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी व संघ से भुगतान किये जाने की दशा में संघ द्वारा ठेकेदार से वसूल की जावेगी। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन ठेकेदारो को करना आवश्यक है। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी का ई.एस.आई.सी. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। ई.एस. आई.सी. संबंधित कोई भी शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक सुरक्षा कर्मीवार राशि रू. 1000/— की वसूली श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित की जावेगी।
7	सुरक्षा एजेंसी/ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित सुरक्षा अमला/कर्मी की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले सुरक्षा अमला/कर्मी की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला सुरक्षाकर्मी को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला सुरक्षाकर्मी को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

8	निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस की समयसीमा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रूपये 3.00 लाख (रु तीन लाख मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर.टी.जी.एस. अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की गारंटी के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के नाम से जमा करनी होगी। दुग्ध संघ द्वारा जमा सुरक्षा निधि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। प्रदायित सुरक्षा कर्मियों को भुगतान होने वाली न्यूनतम मजदूरी की एक माह की राशि यदि उक्त जमा सुरक्षा निधि से अधिक होती है तो अंतर की राशि सुरक्षा निधि स्वरूप जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त सुरक्षा निधि ठेका समाप्त होने के पश्चात् संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय एवं जी.एस.टी. आदि से सम्पूर्ण ठेकावधि की निरीक्षण टीप (एन.ओ.सी.) संघ में जमा कराने के पश्चात् ही वापिस की जावेगी। 01 ब्लेंक चैक मूलप्रति एवं शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि सुरक्षा ठेकेदार से यदि कोई लेन–देन शेष हो तो उस राशि की प्रतिपूर्ति दिये गये चैक से की जावेगी।
9	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने सुरक्षाकर्मियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र, सिरोंजा प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी/वेतन भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से सुरक्षाकर्मी को माह की सात (07) तारीख तक करना होगा। सुरक्षा ठेकेदार को प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के नाम से ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आईसी. के खाता खोलकर ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आईसी. अंशदान राशि के चालान तथा जी.एस.टी. राशि के चालान तैयार/जनरेट कर निर्धारित समय अवधि में संघ कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत्रा का ब्यौरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेखित करना होगा सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि ''इस चालान द्वारा माह ....में बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, दुग्ध शीतकेन्द्रों एवं पशु आहार संयंत्र को प्रदाय किये गये कुल .... (संख्या) सुरक्षा कर्मियों का ई.पी.एफ/ई.एस.आई अंशदान (...... प्रतिशत) राशि रु. .... जमा कराया जाना है तथा किसी भी सुरक्षा कर्मी का नाम छोड़ा नहीं गया है'' इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के साथ देना अनिवार्य होगा। इस हेतु सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। यदि सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सुरक्षा कर्मियों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा।
10	सुरक्षाकर्मियों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई, श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत्रा करने की संपूर्ण जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। नियमानुसार कटौत्रे निर्धारित समय पर जमा करने की जबाबदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी। विलंब से जमा किये जाने पर प्रतिमाह रू. 10,000 की वसूली अधिरोपित की जावेगी।
11	म.प्र. श्रम कल्याण निधि संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार ठेके के अंतर्गत श्रम कल्याण निधि में प्रत्येक 06 माह में प्रति सुरक्षा कर्मी रूपये 10/ एवं नियोजक द्वारा रूपये 30/– जमा कराया जाना आवश्यक है। इस संबंध में यदि कोई जुर्माना अथवा पेनाल्टी लगती है तो सुरक्षा ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
12	प्रत्येक पाली में ठेकेदार या उसके पर्यवेक्षक का सम्पूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है। जिससे कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सकें। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो प्रति पाली अधिकतम रूपये 1000/– का वसूली देयक से की जावेगी। पाली के प्रारंभ एवं अन्त में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
13	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिक को फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को पूरा रखना होगा एवं समय–समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14	संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है एवं उपयोग करते हुये पाये जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के ऊपर रू. 100/– प्रति कर्मी के मान से वसूली अधिरोपित की जावेगी। कर्मी द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा। किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आदि करने पर संबंधित सुरक्षा कर्मी को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे सुरक्षा कर्मी को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध प्रति कर्मी रूपये 1,000/– के मान से कटौत्रा किया जावेगा जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जावेगी। दोषी पाये गये सुरक्षा कर्मी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
15	यदि ठेकेदार के कर्मी की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संघ की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं तो प्रबंध पक्ष द्वारा क्षति की राशि का पांच गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के दस गुना अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त सुरक्षा कर्मी को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
16	सुरक्षा ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत प्रदत्त कर्मी अच्छे आचरण एवं चरित्र के देना होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई सुरक्षा कर्मी डेरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे सुरक्षा कर्मी को तत्काल हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी सुरक्षा कर्मी द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति सुरक्षा कर्मी राशि रूपये 1,000/– तक वसूली ठेकेदार पर अधिरोपित की जा सकेगी।
17	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा लगाये गये सुरक्षा कर्मी ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करते हुयें कार्य करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई कर्मी कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये कर्मी को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति कर्मी रूपये 1,000/– के मान से कटौत्रा किया जावेगा जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जावेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित कर्मी को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को कालीसूची (ब्लेक लिस्टेड) कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि आदि राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
18	सुरक्षा ठेकेदार को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने से पूर्व पुलिस विभाग से सत्यापन कर एवं प्रबंध से कर्मी की योग्यता एवं आयु पुष्टि की अनुमति पश्चात् स्वास्थ परीक्षण उपरांत ही सुरक्षाकर्मियों की तैनाती करेगा, अन्यथा वेतन देय नहीं रहेगा।
19	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, पेंट, शर्ट, टोपी, बेल्ट, जूते मोजे, बैज, लाठी, सीटी, टॉर्च, प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र आदि उपलब्ध करायेगी, (सुरक्षा कर्मियों से वसूल नहीं की जावेगी।) ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित् हों। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा उक्त अनुसार गणवेश प्रदाय नहीं करने या **सुरक्षाकर्मी बिना गणवेश के पाये जाने पर प्रबंध द्वारा सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध रू. 100/. प्रतिदिन प्रति गार्ड के हिसाब से वसूली की जा सकेगी।** (साथ ही दुग्ध संघ द्वारा उपरोक्त वस्तुऐं क्रय कर सुरक्षाकर्मी को प्रदाय की जा सकती है तथा इस हेतु आया हुआ व्यय सुरक्षा ठेकेदार के बिल से प्रबंध द्वारा काट लिया जावेगा)। उक्त वर्दी एवं अन्य देय समान की राशि सुरक्षा कर्मियों से ली जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उक्त पर व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि का कटौत्रा सुरक्षा ठेकेदार के देयक से कर लिया जावेगा।

20	समय–समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर ठेकेदार को तद्नुसार सुरक्षा कर्मियों की मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियम व कारखाना अधिनियम तथा अन्य वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिये किये गये व्यय की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी।
21	सुरक्षा ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत्रा कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत्रे का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
22	सुरक्षा ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी। श्रम अधिनियमों एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी रखना ठेकेदार को आवश्यक होगा व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहियें अन्यथा वसूली अधिरोपित की जावेगी।
23	ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) जप्त कर काली सूची में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तो का समय–समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व काली सूची में डाला जाकर दुग्ध संघ अपने स्त्रोत से अन्य ठेकेदार को कार्य आवंटित कर उसे जो मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात् कार्य पर जो भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति देय होगी।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रू
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत

24	**दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसियों से पृथक–पृथक स्थितिवार की जावेगी :–** **(i)** – वाहन में परिवहन के लिये डेयरी डाक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में ''दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों (पक्षों) पर पृथक–पृथक लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत् पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

	(ii) :– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात् डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी/संघ द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शाई गई मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसिज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डाक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य डेयरी संयंत्र/पशु आहार संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 02 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः वितरक–सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डाक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। **(iii)** :– पशु आहार/मिनरल मिक्चर एवं अन्य कच्चे माल की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली तीनों पार्टी (पक्षों) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एंजेसी से बराबर–बराबर राशि वसूल की जायेगी। साथ ही पशु आहार वाहन में चढाने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को हटाया जायेगा। अधिक पाये गये पशु आहार/मिनरल मिक्चर/कच्चे माल का 20 गुना राशि का कटौत्रा की वसूली तीनों पार्टी (पक्षों) क्रमशः वितरक/परिवहनकर्ता, श्रमिक ठेकेदार एवं सुरक्षा एंजेसी से बराबर–बराबर राशि वसूल की जायेगी। इस संबंध में पंचनामे में संयंत्र में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर आवश्यक है।
24	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं सुरक्षा कर्मियों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व सुरक्षा ठेकेदार का होगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे सुरक्षा कर्मियों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जेस का समायोजन ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरूद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध राशि रू 10,000/– प्रतिमाह की वसूली अधिरोपित की जायेगी। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
25	निविदा शर्तों एव अनुबंध में भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में सशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा।
26	सुरक्षा ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिपेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो सुरक्षा ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त कर दिया जावेगा।
27	श्रम नियमानुसार कारखाना अवकाश, ओव्हर टाइम ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। साथ ही रिलीवर की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जावेगा जिसके प्रमाणन हेतु सत्यापित उपस्थिति पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने सुरक्षा कर्मियों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न करायें।

28	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
29	सुरक्षा कर्मियों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरन्तर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षा ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं वसूली अधिरोपित की जावेगी।
30	सुरक्षा ठेकेदार का दायित्व होगा कि प्रत्येक शाखा में प्रबंधन के निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मी की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन सुरक्षा कर्मी के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड भी लगाया जायेगा।
31	सुरक्षा ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे सुरक्षा कर्मी की संख्या मय नाम, उपनाम, पिता का नाम एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखावार तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक होगा अन्यथा वसूली की जावेगी।
32	सुरक्षा ठेकेदार को संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित सुरक्षा कर्मियों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रतिपारी में प्रदाय किये जाने वाले कर्मियों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
33	सुरक्षा ठेकेदार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिस हेतु रूपये 100/– का अंश खरीदना होगा परन्तु उसे वोट इत्यादि देने की पात्रता नहीं होगी।
34	सुरक्षा ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।
35	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध की शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उपरोक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही मे भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
36	सुरक्षा ठेकेदार किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ/सहकारी संस्था से काली सूची में नामांकित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो सुरक्षा ठेकेदार की जमानत/धरोहर राशि जप्त कर ठेका तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा।
37	प्रबंधन एवं सुरक्षा ठेकेदार के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की स्थिति में ''आरबीट्रेशन एक्ट 1996'' के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
38	निष्पादित अनुबंध को सुरक्षा ठेकेदार अथवा बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। सुरक्षा ठेकेदार द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही सुरक्षा ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी तथा इसके अतिरिक्त सुरक्षा ठेकेदार को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
39	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई सागर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।
40	यदि सफल निविदाकार ठेकेदार का मुख्यालय सागर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे सागर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार संपर्क इत्यादि उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
41	सुरक्षा कर्मी प्रदाय करने हेतु न्यूनतम मजदूरी दर पर .... प्रतिशत सर्विस चार्ज द्वितीय पक्ष को देय होगी, जो उसके द्वारा प्रदाय सम्पूर्ण सेवा अवधि में लागू होगी।
42	सुरक्षा ठेकेदार को यह अधिकार होगा कि, वह मेनगेट से आने–जाने वाले वाहनों, प्रबंध के अधिकारियो/कर्मचारियों, बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं संयंत्र गोडाऊन,

	परिसर में भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती है। तलाशी के दौरान अवैध सामग्री जब्त होने पर सामग्री की 20 गुना कीमत वसूली जावेगी।
43	सुरक्षा ठेकेदार के कर्मचारियों के लिऐ निम्न अहर्ताऍ निर्धारित की जाती हैं तथा पदस्थी के पूर्व व्यक्तिगत् तथा योग्यता सम्बन्धी जानकारी देना होगी :— अ— **सुरक्षा सुपरवाईजर** : शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण एवं औद्योगिक संस्थान में सुरक्षा कार्य का अनुभव हो। ब— **सुरक्षा गार्ड** : शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, जो लिखना—पढना अच्छी तरह से जानता हों एवं औद्योगिक संस्थान का सुरक्षा व्यवस्था का अनुभव होना चाहिए। नोट :— सुरक्षा सुपरवाईजर द्वारा गार्ड का ड्यूटी प्रत्येक माह बदलकर रोटेशन में ड्यूटी चार्ट प्रकाशित किये जायें और उसकी प्रति सत्यापनकर्ता अधिकारी को दी जावेगी।
44	प्रबंध द्वारा समय—समय—पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिये सुरक्षा ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
45	प्रबंध द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय—समय—पर निर्देश दिया जावेगा, जिसका सुरक्षा ठेकेदार द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा।
46	सुरक्षा ठेकेदार प्रबंध के निर्देशानुसार दुग्ध, दुग्ध पदार्थ, केन, एवं क्रेट आने जाने की डेली रिपोर्ट तैयार करेगी एवं उस रिपोर्ट की प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
47	प्रबंध किसी भी प्रकार की सुरक्षा ठेकेदार को लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नहीं करावेगा। सुरक्षा ठेकेदार स्वयं लिपिकीय व्यवस्था करेगा। प्रबंध द्वारा आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी, बैटरी सैल इत्यादि उपलब्ध कराये जावेंगे।
48	सुरक्षा ठेकेदार परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिये उत्तरदायी होगी। यदि ऐसा करने में वह विफल हुई तो प्रबंध स्व—विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेगा।
49	केश राशि तथा स्टोर्स सामान जो वाहन से ले जाना है तथा उस हेतु आर्मड गार्ड्स की आवश्यकता होने पर सुरक्षा ठेकेदार द्वारा आर्मड गार्ड प्रदाय करना होगा।
50	सुरक्षा ठेकेदार फायर फायरिंग साधनों का रख—रखाव रखेगी तथा सुरक्षा ठेकेदार के सभी अधिकारी / कर्मचारी को फायरिंग साधनों का संचालन विधि का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आगज़नी होने की दशा में इसका उपयोग किया जा सकें। सुरक्षा ठेकेदार आग, दंगे की स्थिति में स्टोर्स के बाहर तथा अंदर रखे सामानों की क्षति न हो, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।
51	कर्मचारियों के मध्य किसी प्रकार के झगड़े, बाहरी व्यक्तियों द्वारा डेयरी प्रांगण में झगड़ा इत्यादि पर शांति बनाये रखने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा।
52	अनुबंध की समाप्ति के समय सुरक्षा ठेकेदार को क्लियरेंस सर्टिफिकेट, समस्त शाखा प्रमुख से अदेय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा अदेय प्रमाण—पत्र तथा क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त होने के उपरांत ही दुग्ध संघ द्वारा प्रतिभूति राशि लौटाई जा सकेगी।
53	सुरक्षा ठेका आवंटित होने की दिनांक से सात दिवस के अंदर सुरक्षा एजेन्सी समस्त सुरक्षा कर्मियों का आयु प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण—पत्र, अनुभव, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आदि की जानकारी प्रबंध को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा। जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तथा निर्धारित अहर्ता सुरक्षाकर्मी की नहीं होने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा संबंधित सुरक्षा ठेकेदार के बिल का भुगतान संघ द्वारा नहीं किया जावेगा।
54	1) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था लगातार शिफ्टों में 24 घण्टे की जावेगी एवं सम्भावित होने वाली चोरी, नुकसान एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करेगा। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी सूचना सम्बन्धित शाखा प्रमुख को अविलम्ब युक्तियुक्त समय में सुरक्षा विभाग द्वारा मौखिक / लिखित में दी जावेगी। घटना प्रकरण में संघ द्वारा जॉच की जावेगी तथा जॉच उपरांत सुरक्षा शाखा के उत्तरदायी पाये जाने पर संघ द्वारा निर्धारित की गई हानि की राशि वसूल करने एवं सुरक्षा ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी। सामान्यतः दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की चोरी में सुरक्षाकर्मी लिप्त पाये जाने या शिकायत आने पर दुग्ध / दुग्ध पदार्थ की राशि का 20 गुणा राशि से सुरक्षा ठेकेदार को दण्डित किया जायेग और सुरक्षाकर्मी को तत्काल कार्य से पृथक कर उसके स्थान पर अन्य को पदस्थ कर प्रशासन शाखा को तत्काल सूचित करना होगा।
	2) बुन्देलखण्ड डेरी संयंत्र में केन / क्रेट / ढक्कन की चोरी, प्लिफ्रेज न हो, इसकी जवाबदारी हेतु विशेष व्यवस्था निम्नानुसार लागू होगी :—

	2(i) केन/क्रेट निर्धारित स्थल पर (प्लांट, डाक, स्टोर या स्टोर डाक) व्यवस्थित रूप से रखी जावेगी, जिसकी संपूर्ण निगरानी सुरक्षा ठेकेदार की होगी एवं बिना गेटपास या इण्डेंट/रिटर्न स्लीप के कोई भी सामान, क्रेट/केन/ढक्कन निर्धारित डाक से नीचे या स्टोर के बाहर नहीं ले जाई जावे एवं न ही अन्य प्रयोजन में उपयोग में लाई जावे। 2(ii) केन/क्रेट/ढक्कन की गणना करते समय सुरक्षा ठेकेदार को सूचित किया जावेगा, इस हेतु उन्हें प्रतिनिधि देना अनिवार्य है एवं संबंधित डाक/स्टोर पर गणना के समय टूटी-फूटी क्रेट/केन/ढक्कन भी सम्मिलित की जावेगी, अन्य संस्थाओ की क्रेट स्वीकार नही की जावेगी। 2(iii) डाक से क्रेट/केन/ढक्कन डेयरी संयंत्र से बाहर भेजते समय गिनती करवाने हेतु सुरक्षा ठेकेदार के प्रतिनिधि वितरण शाखा के वितरण लिपिक एवं उत्पादन शाखा के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे। एक रजिस्टर वितरण लिपिक द्वारा रखा जावेगा। (क्रेट एकाऊन्ट रजिस्टर) एक रजिस्टर सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर रखा जावेगा। उक्त रिकार्ड/रजिस्टर में काटा-पीटी एवं ओवर राईटिंग न हों। उपरोक्त बाहर गये क्रेट/केन/ढक्कन डेयरी संयंत्र में वापसी के समय सुरक्षा शाखा के द्वितीय गेट पर सुरक्षा शाखा रजिस्टर में गिनकर रिकार्ड किये जावेंगे। साथ ही डेयरी संयंत्र में इन क्रेट/केन/ढक्कन का वापसी रिकार्ड वितरण लिपिक एवं सुरक्षा विभाग अपने रिकार्ड /रजिस्टर में रखेंगे। इन्द्राज अंकों एवं शब्दों में दोनों ही तरीकों से अंकित होगा। संबंधित अपने पूर्ण हस्ताक्षर मय् दिनांक के करेंगे। प्रत्येक दिन बाहर गये एवं अंदर आये क्रेट/केन/ढक्कन के रिकार्ड, विपणन शाखा एवं सुरक्षा ठेकेदार के द्वारा रखे गये रजिस्टरों के अनुसार रिकन्सीलेशन मासिक/निश्चित् समय पश्चात् किया जावेगा। माह की प्रथम तिथि प्रातः रिटर्न आने से पूर्व सुरक्षा ठेकेदार के सुपरवाईजर, उत्पादन शाखा के प्रतिनिधि एवं विपणन लिपिक, डेरी में बचे क्रेट/केन/ढक्कन का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि सुरक्षा ठेकेदार का कर्मचारी अनुपस्थित होगा तो इसके लिऐ सुरक्षा ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगी व वस्तुस्थिति जो भी होगी, वे मान्य एवं बंधनकारी होगी। उक्त प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी प्रकार क्रेट्स/केन/ढक्कन में रिकार्ड अनुसार कोई कमी आती है तो उसके लिए सुरक्षा ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा तथा तत्काल उसकी सूचना लेखा शाखा एवं प्रशासन शाखा को दी जावेगी। प्रशासन शाखा के माध्यम से संबंधित सुरक्षा ठेकेदार के देयक से कटौत्रा किये जावेंगे, जो सुरक्षा ठेकेदार को मान्य करना होगा।
	2(iv) सुरक्षा ठेकेदार द्वारा समस्त प्रकार की सामग्री को बाहर जाने एवं अंदर आने, सभी वाहनों के बाहर जाने एवं अंदर आने, समस्त व्यक्तियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को अंदर आने एवं बाहर जाने के रिकार्ड (प्रवेश गेट पर) रखने की जवाबदारी होगी एवं आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विवेकानुसार आर्थिक दंड अधिरोपित होगा।
55	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा प्रबंध के निर्देशानुसार सुरक्षा सुपरवाईजर, गनमैन, सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना होगा, जहॉ पर कर्मचारी राज्य बीमा लागू नहीं है, वहॉ पर पदस्थ सुरक्षाकर्मी की ग्रुप एक्सीडेंट पॉलिसी लेना होगी तथा आकस्मिक कोई भी घटना घटित होने पर देय मुआवजे की समस्त जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की रहेगी, संघ की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
56	सुरक्षा ठेकेदार को दिए गए आदेशानुसार सुरक्षाकर्मी (स्टाफ) को निर्धारित समय पर ड्यूटी पर तैनात करना अनिवार्य रहेगा। उनका प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर रखे जावेंगे, जो कि प्रबंध या उसके प्रतिनिधि की आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना होगा। यदि दिए गए आदेश निर्देशानुसार सुरक्षाकर्मी का स्टाफ तैनात नहीं किये जाने पर निम्नानुसार राशि से अर्थदण्डित किया जायेगा। ➢ निर्धारित संख्या से कम गार्ड/पर्यवेक्षक लगाये जाने पर प्रति पारी रू. 500/- तक की राशि वसूल की जा सकती है, वह प्रबंध के विवेक पर निर्भर रहेगा।
57	सुरक्षा ठेकेदार द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख-रखाव सुनिश्चित् करना होगा एवं समय-समय-पर उसका उपयोग निरीक्षण/परीक्षण प्रभारी महाप्रबंधक (सं.सं.) के निर्देशानुसार

	करना होगा, ताकि ऐसी घटनाएँ घटित होने पर त्वरित गति से आग पर काबू पाया जा सके।
58	सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित् करेगी कि, स्टोर एवं उसके अंदर या बाहर रखी सामग्री को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे।
59	सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित् करेगी कि, अनाधिकृत एवं निषेध/प्रवेश बंद व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सकें। यदि **प्रवेश बंद व्यक्ति संयंत्र में पाया जाता है तो रू. 500/- वसूली की जावेगी, यदि वहीं व्यक्ति दोबारा संयंत्र में प्रवेश कर जाता है तो इससे अधिक राशि वसूली जायेगी।**
60	सुरक्षा ठेकेदार को कार्य हेतु प्रबंध द्वारा उचित स्थान उपलब्ध कराया जावेगा एवं बैठने एवं रिकार्ड सुरक्षित रखने हेतु फर्निचर प्रदाय किया जावेगा।
61	ठेके के दौरान सुरक्षा ठेकेदार बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ/महासंघ/अन्य दुग्ध संघ के कर्मचारियों या उनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुरक्षा ठेकेदार में कार्य पर नहीं ले सकेगी।
62	सुरक्षा ठेकेदार प्रबंध के प्रशासकीय प्रमुख एवं अन्य शाखा प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होगी एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करेगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर	हस्ताक्षर सुरक्षा ठेकेदार
स्थान – दिनांक –	नाम –
1. गवाह का नाम एवं पता .... पहचान पत्र का नम्बर .... हस्ताक्षर गवाह	सागर कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाइल एवं फैक्स/ई–मेल ....
2. गवाह का नाम एवं पता .... पहचान पत्र का नम्बर .... हस्ताक्षर गवाह	1. गवाह का नाम एवं पता .... पहचान पत्र का नम्बर .... हस्ताक्षर गवाह ....
	2. गवाह का नाम एवं पता .... पहचान पत्र का नम्बर .... हस्ताक्षर गवाह ....